कार्यालय सहायक आवास आयुक्त

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

पंजीकृत

ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ।

(प्रदेशन - पत्र)

संख्या / सं0 प्र0 / भवन / भूखण्ड संख्या..योजना सं0............................दिनांक ....

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....

....

....

महोदय / महोदया,

आपके पंजीकरण चालान संख्या/ अपंजीकृत के विरूद्ध आपके सहमति पत्र दिनांक...................के आधार पर दिनांक.................... को हुये लाट्री ड्रा में मेरठ नगर की.............................. योजना सं0............................ में आपको भवन/ भूखण्ड संख्या.............................. नकद/ किस्त क्रय पद्धति पर परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है जिसके विरूद्ध दिनांक .... तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है।

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल ....

दर प्रति वर्ग मी0 रू0 ....

मूल्य रू0 ....

(+) 12 % लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज रू0 ....

योग रू0 ....

(+) 10 % कार्नर चार्ज रू0 ....

कुल भूमि मूल्य रू0 ....

भवन निर्माण लागत रू0 ....

भूखण्ड सहित भवन का मूल्य रू0 ....

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0.....................

(ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि रू0 ....

(घ) किस्त क्रम पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशियाँ

रू0 ....

1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रू0 ....

2. प्रथम किस्त के साथ एक मुश्त देय धनराशि

रू0 ....

3. शेष धनराशि (निकटतम रू0 100/- के पूर्णांक में)

रू0 ....

4. अवशेष मूल्य रू0 ....

पर ....प्रतिशत ब्याज लगाकर बनायी गई

...............मासिक किस्तों में से प्रथम किस्त जो दिनांक

..............................से देय होगी रू0........................

5. योग रू0..............................

(च) विविध शुल्क

1. फ्रीहोल्ड शुल्क भूमि का 12 प्रतिशत की दर से रू0........................
2. विलेख निषपादन व्यय रू0........................
3. 0.25 % विज्ञापन शुल्क रू0........................
4. जल संयोजन शुल्क रू0........................
5. अग्रिम जल शुल्क (3 माह का) रू0........................
6. विविध शुल्क का योग रू0........................

नोट : 1. किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर साधारण ब्याज की दर......................% के साथ-साथ.........% की दर से अतिरिक्त ब्याज। कुल ब्याज ....% देय होगा।

2. न्यायालय के आदेश से अथवा किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) अथवा (घ) में अंकित धनराशि पंजाब नैशनल बैंक, सेक्टर-2, शास्त्री नगर, मेरठ अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गढ़ रोड, मेरठ में परिषद् के संग्रह खाता में एवं कॉलम (च) में अंकित धनराशि उक्त शाखा में ही परिषद् के विविध खाते में दिनांक .... तक अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण की निर्धारित धनराशि रूपये....................................की 20 % धनराशि जब्त करते हुये आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते है तो उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। तीन माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण राशि का 50 % जब्त करते हुये प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

नोट : नकद पर देय प्रदिष्ट सम्पत्ति का उपरोक्त अंकित तिथि के उपरान्त भुगतान की दशा में दिनांक .... से .... % की दर से दण्ड ब्याज भी देय होगा।

Scanned by CamScanner

नकद क्रय पर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य के विरूद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से एक माह (30 दिन) के अन्दर, भुगतान करने पर भूखण्ड एवं भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत तथा दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। एक माह के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आवंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद् से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवधि प्रदेशन पत्र की निर्गत तिथि से क्रमशः ....वर्ष तथा..................वर्ष है।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु गत पृष्ठ पर अंकित समस्त धनराशियाँ एवं इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र दिनांक...........................तक कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा रू०..प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू०.......................प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद् उत्तरदायी नहीं होगा।

नोट : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्–भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम-1979, (यथासंशोधित जून, 1986– मूल्य रू० 10/-) विक्रय समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध है।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी / सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा .... दिनांक तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र मूल रूप से दाखिल करें।
2. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
3. रू० 100/- का सादा नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर मीटर बाण्ड हेतु प्रस्तुत करें।
4. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम, पिता का नाम एवं पता अंकित हो, दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रू० 10/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. यदि भवन / भूखण्ड नकद पर प्रदिष्ट है तो लीज / सेलडीड हेतु सम्बन्धित कार्यालय, निमार्ण खण्ड...........................से साईट एवं बिल्डिंग प्लान की चार-चार प्रतियाँ प्राप्त कर निर्धारित स्टाम्प शुल्क के स्टाम्प पेपर भी प्रस्तुत करें।
7. प्रथम देय किस्त के साथ एक-मुश्त जमा धनराशि का बैंक प्रमाण पत्र व रसीद मूल रूप में प्रस्तुत करें।
8. अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प पेपर रू०.................................. एवं रू० 100/- का स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करें।
9. 5 फोटो प्रस्तुत करें।
10. नकद पर आवंटित सम्पत्ति के विरूद्ध निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर विक्रय-विलेख टाइप कराकर प्रस्तुत करना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम)...पुत्र/पुत्री..उम्र...........निवासी..
निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ० प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरा/मेरी पत्नी एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ० प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वितीय वर्ष..को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं, कुल रूपये...से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम) ....घोषणा करता/करती हूँ कि उपयुक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान ....

दिनांक .... शपथी

प्रमाणित
मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी

Scanned by CamScanner